

श्री सुभाष सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न संख्या-18/03/92 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज प्रखंड के बाढ़ प्रभावित मकसूदपुर- मंझरिया-खावाजेपुर गाँव के सामने गंडक नदी की धारा मोड़ने हेतु विभाग द्वारा 10 वर्ष पूर्व पायलट चैनल का निर्माण से इन क्षेत्रों में बाढ़ एवं कटाव रुक गया था, विगत 10 वर्षों में नदी के गाद से यह पायलट चैनल पूरी तरह भर गया है जिस कारण इन क्षेत्रों में पुनः बाढ़ एवं कटाव का खतरा बन गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के गोपालगंज प्रखंड अंतर्गत प्रश्नगत मकसूदपुर एवं मंझरिया तटबंध के नदी भाग में अवस्थित हैं जबकि प्रश्नगत खावाजेपुर गंडक नदी के दायें किनारे निर्मित खावाजेपुर- गौसिया छरकी के नदी एवं कट्टी भाग में अवस्थित है। उक्त स्थलों के समीप नदी की प्रवृत्ति के आलोक में तटबंधों के सुरक्षार्थ कुल 4150 मीटर की लंबाई में प्रश्नगत पायलट चैनल का निर्माण बाढ़ 2020 पूर्व कराया गया था। पुनः बाढ़ 2021 पूर्व कटाव निरोधक कार्य के तहत पायलट चैनल के मुहाने की सफाई करायी गयी थी, जो काफी प्रभावी रहा। कालान्तर में इस चैनल में गाद का आंशिक जमाव हुआ है, परंतु वर्तमान में भी जलस्तर में वृद्धि होने पर नदी उक्त चैनल से होते हुए प्रवाहित होती है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पुनः पायलट चैनल निर्माण हेतु मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण गोपालगंज द्वारा पत्रांक-727 दिनांक-18/02/2026 के द्वारा प्राक्कलन अनुसंशा सहित विभाग को समर्पित है जो स्वीकृति हेतु लंबित है;	खावाजेपुर गाँव के सुरक्षार्थ नदी तट के क्षरण को रोकने हेतु बाढ़ 2026 पूर्व कटाव निरोधक कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में स्थल सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में घोषित योजना के तहत प्रश्नगत प्रभाग में तटबंध के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य भी कराया गया है एवं तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पायलट चैनल निर्माण की स्वीकृति देना चाहती है हां, तो कबतक नहीं, तो क्यों?	बाढ़ 2026 के दौरान नदी के आक्राम्यता के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रश्नगत पायलट चैनल के निर्माण पर विचार किया जायेगा तथा बाढ़ 2027 पूर्व कटाव निरोधक कार्य का स्वरूप निर्धारण करते हुए कार्यान्वयन कराया जायेगा।

P.T.O.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-177/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/3/92 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-177/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-177/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-177/2026-

4067

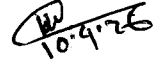
पटना, दिनांक-10/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव


10-9-26